5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

208

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 R .... I/2015 निगरानी

निगरानी 2095-I-15

1–सुशीला देवी पत्नी वुद्दूराम
2–सियाराम 3–नेकराम
4–नारायण 5–राधेश्याम
6–हरीशंकर 7–सुमेरसिंह
पुत्रगण वुद्दूराम समस्त निवासी ग्राम जवाहरगण तह0 सबलगढ जिला मुरैना

8–उम्मेदी पुत्रीवुद्दूराम पत्नी राजकुमार
9–सुलेखा पुत्री वुद्दूराम पत्नी नरेश
समस्त जाति कुशवाह निवासी ग्राम सम्मुदी तह0 विजयपुर जिला श्योपुर

दिनांक 6-7-15 को श्री ... शर्मा, अभि० द्वारा प्रस्तुत।
6-7-15
SO

..............................आवेदक

बनाम

1–रामजीलाल पुत्र घासीराम
2–मदन मोहन पुत्र रामदयाल
3–मुस0 प्रेम पत्नी रामदयाल
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम टेटरा तह0. सबलगढ जिला मुरैना

........................अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 18/06/2015

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सबलगढ जिला मुरैना के

प्र0क0 07/13–14निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम जवाहरगढ तह0 सबलगढ जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 344 ग बन्दोबस्त के बाद सर्वे क0 685 रकवा 4 वीघा 0.836है0 का बन्टी पुत्र कन्हैयालाल भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।

2– यह कि चन्टी पुत्र रामदयाल द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में एक वसियतनाम आवेदक के पिता बुद्दूराम के हक में सम्पादित किया था।

3– यह कि भूमि स्वामी चन्टी पुत्र रामदयाल की मृत्यु हो जाने पर आवेदक द्वारा तहसील सबलगढ में वसियत के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदक द्वारा आपत्ति करने पर प्रकरण तहसीलदार महोदय सबलगढ के न्यायालय में प्र0क0 07/13–14 ×अ/6 पर पंजीबद्ध किया गया।

4– यह कि प्रकरण विचारण न्यायालय तहसील में आवेदक की साक्ष्य हेतु चल रहा था। दिनांक 08/06/2015 को आवेदक के गवाह की तबियत खराब हो जाने से

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2095–एक/15 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.10.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, सबलगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 07/13–14/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–6–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदक द्वारा साक्षी के बीमार होने से साक्ष्य हेतु उपस्थित न हो सकने के कारण साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि पूर्व में आवेदक को साक्ष्य के कई अवसर दिए जा चुके हैं । दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदक को साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर न्यायहित में दिया जाये यदि इसके उपरांत भी उनकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की जाती है तो प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही विधिनुसार की जाये । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	